



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042025-262500
CG-DL-E-17042025-262500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1737]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 1737]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1770(अ).— आयकर नियमवाली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आयकर नियमवाली, 1962 के नियम 5ग और 5ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ 'किम्स फाउंडेशन एवं अनुसंधान केंद्र' हैदराबाद (पैन: AABTK7589F) को 'विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था' की श्रेणी के अंतर्गत 'वैज्ञानिक अनुसंधान' हेतु अन्य संस्था' के तौर पर अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख (अर्थात् पूर्व वर्ष 2025-26) से लागू होगी तथा तदनुसार निर्धारण वर्षों 2026-27 से 2030-31 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 33/2025/फा. सं. 203/33/2024/ITA-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।